उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-848/ग्यारह-2-21-9(42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(199)-2021

लखनऊः दिनांकः02 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी । (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियमावली 1 जून, 2021 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी ।
नियम 26 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, - (एक) नियम 26 के उपनियम (1) में, चौथे परंतुक में, तारीख "31 मई, 2021" से अंक, अक्षर और शब्द "31 मई 2021" के स्थान पर अंक अक्षर और शब्द "31 अगस्त 2021" रख दिये जायेंगे। (दो) नियम 36 के उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि ऐसी शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और यथास्थिति, जून, 2021 या जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी ।"; (तीन) नियम 59 के उपनियम (2) में, पहले परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

		"परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, 1 जून, 2021 से 28 जून, 2021 तक प्रस्तुत कर सकता है।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव